

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

~~भरला पत्नी मन्दीप कुमार~~ बनाम ~~वलवन्ही सिंह भादि~~

~~पुत्री हरपतराम पाठि जाट~~

दावा बाबत :- ~~नि०- दाल रामपुरा वगडिया ह० व जिला मित्ता 1
88 RTA व~~

मुकदमा नम्बर :- ~~143/21~~

निर्णय दिनांक :- ~~03.11.21~~

वादी की ओर से वकील ~~विनोद गुग्गिया~~ की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील ~~डभोर सिंह गोजरा~~ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ~~03.11.21~~ को
मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि ~~राही भोजा~~ ^{स्वातंत्र्य 144/113} 8 डर के मु० न० 38 के जिला 25, मु० न०

~~39 के जिला न० 11 ता 14, 16 ता 25, मु० न० 50 के जिला न०~~

~~1 ता 4, मु० न० 51 जिला न० 5 कुल 5.060 हे० धारणी~~

~~स्वातंत्र्य में व वादीया की भागा मन्दीप के नाम दर्ज~~

~~1.50 हिस्सा में मन्दीप पत्नी हरपतराम का नाम~~

~~उत्तराजन हर वादीया भरला पत्नी मन्दीप कुमार पाठि जाट~~

~~निवासी रामपुरा वगडिया ह० व जिला मित्ता डो स्वातंत्र्य~~

~~भादरा घोषि की जाती है यदि यदि क्षमि बंध के रहन~~


~~हे तो रहन मुझ होने के उपरान्त उपरोक्ता कुमार राजस्व रिपोर्ट~~

~~में अंगुन हर रिपोर्ट उद्धर किया जावे। दावा की प्रमाणित~~

~~निश्चयि डीडी के माप मकन हो।~~

स्वर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~03.11.21~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी
(आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़